

समन्वय निदेशालय

(पुलिस बेतार)

खंड-9, कै.स. का. परिसर

लोधी रोड, नई दिल्ली -3

दिनांक- 05 मार्च, 2019

कार्यालय जापन

विषय: **अनुभागों की सरकारी काम काज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के बारे में 31/12/2018 को समाप्त तिमाही की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा और हिंदी पत्राचार को बढ़ाने के बारे में**

भारत सरकार, गृह मंत्रालय के दिनांक 18 फरवरी 2019 का पत्र संख्या 11015/02/2018-हिंदी के द्वारा इस निदेशालय की हिंदी की तिमाही रिपोर्ट की समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार यह कमी दर्शायी गयी है कि हमारा कार्यालय 'क' क्षेत्र में स्थित होने के कारण कार्यालय द्वारा 'क' और 'ख' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों को 100 प्रतिशत पत्र हिंदी में भेजा जाना अपेक्षित है, उक्त तिमाही में कार्यालय द्वारा 'क' क्षेत्र को 36 प्रतिशत और 'ख' क्षेत्र को 27 प्रतिशत पत्र ही भेजे गए। 'ग' क्षेत्र में स्थित कार्यालय को 65 प्रतिशत पत्र भेजे जाने अपेक्षित हैं, जबकि हमारे कार्यालय द्वारा 19 प्रतिशत पत्र ही हिंदी में भेजे गए हैं। विदित हो कि मंत्रालय को भेजी जाने वाले तिमाही रिपोर्ट निदेशालय मुख्यालय के अनुभागों, पोलनेट हब एवं केन्द्रीय पुलिस रेडियो संस्थान से प्राप्त तिमाही रिपोर्ट के आंकड़ों को समेकित करके तैयार की जाती है। सभी अनुभागों, पोलनेट हब एवं केन्द्रीय पुलिस रेडियो संस्थान की तिमाही रिपोर्ट की समीक्षा करने पर पाया गया कि उन्होंने अपने दिनांक 31/12/2018 को समाप्त तिमाही रिपोर्ट में हिंदी का पत्राचार निर्धारित लक्ष्य से बहुत कम किया है जिससे निदेशालय का हिंदी पत्राचार कम हुआ है।

2. क्रय, भूमि एवं भवन, समन्वय अनुभाग, पोलनेट हब और केन्द्रीय पुलिस रेडियो संस्थान अनुभागों का हिंदी पत्राचार अपेक्षा से बहुत कम पाया गया है। इनका हिंदी पत्राचार निम्नलिखित प्रकार से पाया गया है :-

(क) क्रय अनुभाग द्वारा जारी कुल 202 पत्रों में केवल 52 पत्र हिंदी में भेजे गए हैं और इसप्रकार केवल 26 प्रतिशत पत्राचार हिंदी में किया गया है।

(ख) भूमि एवं भवन द्वारा जारी कुल 1195 पत्रों में से केवल 163 पत्र हिंदी में भेजे गए हैं और इसप्रकार 'क' क्षेत्र में पत्राचार का प्रतिशत 28 प्रतिशत है और कुल हिंदी पत्रों का प्रतिशत 14 प्रतिशत है।

(ग) समन्वय अनुभाग द्वारा जारी कुल 145 पत्रों में से केवल 15 पत्र हिंदी में भेजे गए हैं और इसप्रकार 'क' क्षेत्र में पत्राचार का प्रतिशत 9 प्रतिशत है और कुल हिंदी पत्रों का प्रतिशत 10 प्रतिशत है।

(घ) पोलनेट हब द्वारा जारी कुल 122 पत्रों में से केवल 14 पत्र हिंदी में भेजे गए हैं और इसप्रकार केवल 11 प्रतिशत पत्राचार हिंदी में किया गया है।

(ङ) केन्द्रीय पुलिस रेडियो संस्थान द्वारा जारी कुल 263 पत्रों में से केवल 29 पत्र हिंदी में भेजे गए हैं और इसप्रकार केवल 11 प्रतिशत पत्राचार हिंदी में किया गया है।


(च) साथ ही भंडार, बीजलेख, कार्यशाला, संचार एवं प्रशासन शाखा का हिंदी पत्राचार क्रमशः 80, 45, 76, 63 एवं 100 प्रतिशत पाया गया है।

3. उक्त के संदर्भ में पैरा 2 (क) से (ड.) में उल्लिखित अनुभाग अधिकारियों से अनुरोध है कि कि वे अपने-अपने अनुभाग में हिंदी पत्राचार को बढ़ाने का कारगर प्रयास करते हुए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें। साथ ही कार्यालय में राजभाषा नीति के कारगर अनुपालन हेतु निम्नलिखित बिंदुओं का अनुपालन सुनिश्चित करें :-

- (क) हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर अनिवार्यतः हिंदी में ही भेजें।
- (ख) राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के अंतर्गत जारी कागजातों को निश्चित रूप से द्विभाषी जारी करना अनिवार्य है। इसके तहत सामान्य आदेश, परिपत्र, टेंडर नोटिस, ज्ञापन, नियम एवं संकल्प आदि पत्र शामिल हैं।
- (ग) फाइलों एवं रजिस्टरों के शीर्षक द्विभाषी लिखें एवं सभी रजिस्टरों में अनिवार्यतः हिंदी में प्रविष्टियां करें।
- (घ) फाइलों में टिप्पणियां अधिक से अधिक हिंदी में ही करें। राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी में टिप्पणी के लिए 75 प्रतिशत लक्ष्य रखा गया है।

4. सभी अधिकारियों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त पर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें, जिससे हमारा निदेशालय राजभाषा हिंदी के प्रयोग हेतु राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा निदेशों एवं निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सके।

5. यह निदेशक महोदय के अनुमोदन से जारी किया गया है।



06/3/19
(विद्याधर)

उप निदेशक (राजभाषा/बीजलेख)

प्रतिलिपि -

1. निदेशक के प्रधान वैयक्तिक सचिव : सादर सूचनार्थ ।
2. अपर निदेशक (मुख्यालय) के वैयक्तिक सचिव : सादर सूचनार्थ ।
3. सभी अनुभाग अधिकारी/सहायक निदेशक/उप निदेशक/संयुक्त निदेशक
4. सहायक निदेशक, पोलनेट हब स्टेशन, समन्वय सदन, सिरी गांव, नई दिल्ली ।
5. सहायक निदेशक, केंद्रीय पुलिस रेडियो प्रशिक्षण संस्थान, वन्दे मातरम् मार्ग, नई दिल्ली ।
6. सभी अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्र के संयुक्त सहायक निदेशक/स्टेशन अधीक्षक।
7. सं.स.नि. सूचना और प्रोद्दयोगिकी - विभाग के वेबसाइट में अपलोड कर सभी अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्र के संयुक्त सहायक निदेशक/स्टेशन अधीक्षक को सूचित करने हेतु ।
8. गार्ड फाइल ।